



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी


पत्राङ्क : कु.सं.5807/2024

दिनाङ्क : 10 अगस्त, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

सत्र 2024-25 के सभी सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए छात्रहित में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13.6 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में शास्त्री /स्नातक कक्षा के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु निर्धारित सीट संख्या 60 को विस्तारित करते हुए सीटों की संख्या 80 की जाती है।

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।


10/8/2024

(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.

कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कार्यार्थ प्रेषित -

1. कुलपति के सचिव कुलपति महोदय को अवलोकनार्थ।
2. छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष।
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. प्राचार्य/प्रबन्धक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।
5. सिस्टम एनालिस्ट, संगणक केन्द्र को इस आशय से प्रेषित कि समस्त महाविद्यालयों को उनके लॉगिन आई.डी. के माध्यम से प्रेषित कराते हुए विश्वविद्यालय वेब-साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
7. सम्बद्ध पत्रावली।
8. सूचना पट्ट।



(राकेश कुमार)

आई.ए.एस.

कुलसचिव